**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR**

<u>मलवा निस्तारण प्रमाण – पत्र</u>

**NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR**

प्रमाणित किया जाता है कि जिस वन भूमि को कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास निर्माण के काम में लिया जावेगा उस कार्य के दौरान जो भी मलवा इकट्ठा होगा उसका निस्तारण वन क्षेत्र के बाहर कर दिया जायेगा।

**Executive Engineer**
**PWD Div. Jhalawar**

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR**

<u>भूमि की पर्याप्तता का प्रमाण–पत्र</u>

**NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR**

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास के लिए पर्याप्त है, भविष्य में कोई अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

**Executive Engineer**
**PWD Div. Jhalawar**

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR**

<u>न्यूनतम भूमि की अण्डरटेकिंग</u>

**NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR**

प्रमाणित किया जाता है कि कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास के लिए वन विभाग की न्यूनतम भूमि (120.4062 हैक्टेयर) चाही गयी है।

**Executive Engineer**
**PWD Div. Jhalawar**

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR**

<u>वर्तमान प्रचलित दर (एन.पी.वी.) की अण्डर टेकिंग</u>

**NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR**

इस परियोजना हेतु 120.4062 हैक्टेयर वन भूमि के अनारक्षण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो एन.पी.वी. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जावेगी, नियमानुसार देय होगी। एवं सा.नि.वि. उक्त राशि जमा करा देगा।

**Executive Engineer**
**PWD Div. Jhalawar**

## OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR

वचन बद्धता का प्रमाण–पत्र

**NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR**

प्रस्तावित वन भूमि के अनारक्षण के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसमें अनुरक्षण या दण्ड प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ – साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत जो कि नियमानुसार होगी, निर्धारित की जावेगी, उसे सा.नि.विभाग देने को तैयार हैं।

**Executive Engineer**
**PWD Div. Jhalawar**

## OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR

### अण्डर टेकिंग

**NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR**

यह प्रमाणित किया जाता है कि न्यूनतम श्रमिक दर बढने से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि में बढोतरी होती है तो उसका भुगतान सा.नि.वि. द्वारा कर दिया जाएगा।

**Executive Engineer**
**PWD Div. Jhalawar**

## OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR

<u>प्रमाण – पत्र</u>

**NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR**

प्रमाणित किया जाता है कि जिस वन भूमि को कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास निर्माण के काम में लिया जावेगा इसे अन्य किसी कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि में सा.नि.वि. द्वारा नयी स्वीकृत कोलाना हवाई पट्टी का विस्तार किया जा सकेगा।

**Executive Engineer**
**PWD Div. Jhalawar**

## OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR

वन भूमि की उपयोगिता का प्रमाण – पत्र

**NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR**

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के अन्तर्गत वहाँ पूर्व में स्थित कोलाना हवाई पट्टी का विस्तार करने के क्रम में उक्त परियोजना वन क्षेत्र से गुजरेगी। प्रस्तावित वन भूमि के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात ही उक्त परियोजना का निर्माण कराया जा सकता है।

**Executive Engineer**

**PWD Div. Jhalawar**

## OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR

### अण्डरटेकिंग

**NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR**

कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास निर्माण में जो सामग्री उपयोग में ली जावेगी वो वन क्षेत्र से नहीं ली जावेगी चाहे वो बोरो पिट हो।तथा कार्य उपयोग में नही आने वाले मलबे का निस्तारण कर दिया जायेगा।

वन विभाग को समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध करा दी जावेगी।

**Executive Engineer**
**PWD Div. Jhalawar**

# OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR

## वन भूमि की उपयोगिता का प्रमाण – पत्र

**NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR**

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के अन्तर्गत वहाँ पूर्व में स्थित कोलाना हवाई पट्टी का विस्तार करने के क्रम में उक्त परियोजना वर्तमान में स्थित कोलाना हवाई पट्टी से सटे हुए वन क्षेत्र से गुजरेगी। जो कि तकनीकी मापदण्डो के अनुरूप आवश्यक हैं एवं वर्तमान में स्थित कोलाना हवाई पट्टी की लम्बाई 1700 मी. एवं चौड़ाई 30 मीटर हैं तथा कुल क्षेत्रफल 49.00 हेक्टर है उस पर एयर बस ए–320 / क्यू 400 के ऑपरेशन के लिए उसकी लम्बाई डी.जी.सी.ए नियमों के तहत 3000 मीटर एवं चौड़ाई 60 मीटर (45 मी. चौड़ाई का डामरीकरण) किया जाना आवश्यक हैं ताकि हवाई अड्डे पर कॉमर्शियल फ्लाईट चालू की जा सके एंव हवाई अड्डा चालू करने के लिए आवश्यक अन्य सुविधायें जैसे टैक्सी वे, एप्रन, टर्नल स्टेशन इत्यादि सुविधाये आवश्यक है एवं चारों तरफ 150 मी. सेफ्टी जोन के तहत खाली जमीन एवं एयर स्ट्रिप के दोनों सिरों पर 450 मीटर खाली जमीन होना आवश्यक है। अतः प्रस्तावित वन भूमि के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात ही उक्त परियोजना का निर्माण कराया जा सकता है।

**Executive Engineer**

**PWD Div. Jhalawar**

# कार्यालय अधिषाशी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांकः— 1305 दिनांकः— 24/8/17

| | | |
|---|---|---|
| Full title of the project | : | Extension of kolana Air Strip Jhalawar |
| File No. | : | FP/RJ/OTHERS/21735/2016 |
| Date of Proposal | : | 07.10.2016 |

## Detailed Report on Voilation of Provision of forest acts

a) The extent ( in ha.) of forest land broken / enchroeched and the number of trees illicitly felled 9.71 Ha.

b) प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा नियमानुसार वन संरक्षण प्रस्ताव वन विभाग को भिजवाये गये थें। जिसके आधार पर 9.71 हेक्ट. की सेद्धान्तिक स्वीकृति पत्र क्रमांक 1816 दिनांक 03.03.2005 से प्राप्त हुई जिसका प्रस्ताव संख्या F1(56)FP/2004/20.10.2004 है, जिसकी प्रति संलग्न है।

जिला कलक्टर महोदय द्वारा पत्र क्रमांक 3004—10 दिनांक 04.06.2005 से कानपुरा भीलान की भूमि आवंटित कर दी गई है। जिसका हस्तानान्तरण एवं नामान्तरण की कार्यवाही नही हुई है। जिसके कारण वर्तमान प्रस्ताव में इस भूमि को सम्मिलित कर हस्तानान्तरित कर दी गई है।

c) उपवन संरक्षक झालावाड़ द्वारा पत्र क्रमांक 3988 दिनांक 08.04.2005 से राशि रू. 6662682/— (एन.पी.वी. 6182037 एवं क्षतिपूर्ति वृक्षा रोपण राशि रू. 480645) मांगे जाने पर यह राशि इस कार्यालय पत्र क्रमांक 1736 दिनांक 24.08.2005 चैक नं. 700907 दिनांक 18.08.2005 से जमा करा दिये गये है।

d) पुनः वन विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक 12419 दिनांक 24.09.2005 से अन्तर राशि रू. 2751163/— की मांग की गई जो प्रयोक्ता एजेन्जी द्वारा उक्त राशि स्वीकृत नही होने के कारण जमा नही करवाई जा सकी। इस प्रकार वर्तमान प्रचलित दर के आधार पर अन्तर राशि भी इस प्रस्ताव में सम्मिलित कर जमा करवा दी जावेगी। जिसकी अण्डर टेकिंग संलग्न है।

(एस.पी. गोयल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़